	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	श्रावण 5, सोमवार, शाके 1942–जुलाई 27, 2020 *Sravana 5, Monday, Saka 1942–July 27, 2020*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

गृह (ग्रुप-5) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 27, 2020

एस.ओ.303 :-इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020, 12.05.2020 और 21.05.2020 की निरन्तरता में, राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 1) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट कृत्यों को प्रतिषिद्ध करने वाले आदेश या विनियम के अतिक्रमण द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 4 के अधीन कारित अपराधों का, उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 में प्रत्येक के सामने विनिर्दिष्ट रकम पर शमन करने हेतु, जिला उद्योग केन्द्रों के सभी महाप्रबंधकों और रीको के इकाई प्रमुखों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर, इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

क्र.सं.	**अपराध**	**रुपये में रकम, जिसके लिए अपराध का शमन किया जाना है**
1	**2**	**3**
1.	सभी कार्यस्थल पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनिटाईजेशन तथा सामाजिक दूरी की पालना नही कराये जाने पर।	10,000/- रुपये

[सं. एफ.9(16)गृह-5/2020]
राज्यपाल के आदेश से,
एन.एल.मीना,
शासन सचिव।

Home (Gr - V) Department

NOTIFICATION

Jaipur, July 27, 2020

S.O.303 .-In continuation of this department's notification even number dated 3.5.2020, 12.5.2020 and 21.5.2020, in exercise of the powers conferred by section 11 of

the Rajasthan Epidemic Diseases Ordinance, 2020 (Ordinance No.1 of 2020), the State Government hereby authorizes the General Manager of the District Industry Centers and Unit Head of RIICO, within their respective jurisdiction, to compound the offences committed under section 4 of the said Ordinance, by violating the order or regulation prohibiting the action specified in column 2 of the schedule given below for the amount specified against each of them in column 3 of the said schedule.

schedule

S.No.	offence	Amount in Rupees for which the offence is to be compounded
1	**2**	**3**
1	Incharge of the work place not follow staggered of work /Business hours or frequently not sanitize the work place or not maintaining social distancing at the work place.	10,000

[No. F-9(16) Home-5/2020]
By Order of the Governor,
N.L.Meena,
Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.